न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–42/18 ((RCMS No.2018/00050) 18 आयुध अधिनियम 1959)

मुकेश जायसवाल पुत्र बाबू लाल जायसवाल निवासी जीवद तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर जरिये सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर दिनांक 08.02.14 एवं 18.09.2014

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः14.08.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 08.02.2014 एवं 18.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अपने पिता बाबूलाल जायसवाल की 12 बोर बन्दूक नं0 35811 को अपने नाम स्थानान्तरण कराने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र संख्या VII-11016/8/2007-Arms Dt. 18.03.2009 के बिन्दु संख्या 3(VI) के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र 25 वर्ष पुराना होने व शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी की आयु 70 वर्ष हो जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में अंकित शस्त्र के स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है। किन्तु अपीलान्ट के पिता की आयु दिनांक 01.01.14 की मतदाता सूची के अनुसार 63 वर्ष होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यदि अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिया जाता तो वह समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष रख सकते थे। अपीलान्ट के पिता की उम्र 70 वर्ष के करीव है उनको जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को अपने नाम स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो न्यायालय ने मात्र पहचान पत्र में दर्ज आयु जो मात्र कयासों के आधार पर लिखी गई थी को आधार मानकर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जबकि अपीलान्ट के पिता की आयु वर्तमान में 71 वर्ष है। यदि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो समस्त तथ्य न्यायालय के सामने रखे जाते। अपीलान्ट के पिता काफी वृद्ध हैं। उनके शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज हथियार की देखभाल उनसे नही हो पाती है। इसीलिये अपीलान्ट नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र बनवाना चाहता है। संबंधित सभी कार्यालयों से अपीलान्ट के पक्ष में रिपोर्ट आ चुकी है व परिवार के सभी सदस्यों ने भी अपीलान्ट के पक्ष में सहमति दे दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि राजस्थान की निर्वाचक नामावली 2014 में अपीलान्ट के पिता बाबलाल पुत्र हजारी मकान सं0 434 की आयु 63 वर्ष अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र संख्या VII-11016/8/2007-Arms Dt. 18.03.2009 के बिन्दु संख्या 3(VI) के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र 25 वर्ष पुराना होने व शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी की आयु 70 वर्ष हो जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में अंकित शस्त्र के स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है। किन्तु अपीलान्ट के पिता की आयु दिनांक 01.01.14 की मतदाता सूची के अनुसार 63 वर्ष होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपने पिता बाबूलाल जायसवाल की 12 बोर बन्दूक नं0 35811 को अपने नाम स्थानान्तरण कराने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र 25 वर्ष पुराना होने व शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी की आयु 70 वर्ष हो जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में अंकित शस्त्र के स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है। जैसाकि गृह मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र संख्या VII-11016/8/2007-Arms Dt. 18.03.2009 के बिन्दु संख्या 3(VI) में निर्देश दिये हैं। किन्तु अपीलान्ट के पिता की आयु दिनांक 01.01.14 की मतदाता सूची के अनुसार 63 वर्ष होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यदि अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिया जाता तो वह समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष रख सकते थे। हम अपीलान्ट के कथन से सहमत हैं। अपीलान्ट अपने पिता की उम्र 71 साल बता रहे हैं। अपीलान्ट का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नही दिया गया। यदि अपीलान्ट का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता तो सभी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध हो जाते। ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2014 व 18.09.2014 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तार्किक एवं न्यायिक निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.09.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official